खान आयुक्त का न्यायालय, बिहार

वाहन अधिहरण वाद संख्या–11/2025

जिला–जमुई

सकलदेव यादव	...	वादकर्ता
	बनाम	
समाहर्त्ता, जमुई एवं अन्य	...	प्रतिपक्ष

आदेश

05.03.2026 A वर्तमान अपील समाहर्त्ता, जमुई के अधिहरण वाद संख्या–01/2025–26 में दिनांक–16.09.2025 को पारित आदेश के विरूद्ध श्री सकलदेव यादव द्वारा लाया गया है।

B 1. मामला संक्षिप्त में यह है कि दिनांक–06.03.2025 को 02:30 बजे अपराह्न में लक्ष्मीपुर थानान्तर्गत कोहबड़वा मोड़, लक्ष्मीपुर चेक पोस्ट के पास अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरूद्ध छापेमारी में दो कोयला लदे वाहन निबंधन संख्या–JH12E-7344 एवं JH12D-3769 को जाँच हेतु रोका गया।

2. दोनों वाहनों के खनिज परिवहन चालान की अवधि कई घंटे पूर्व ही समाप्त होने के कारण वाहनों को जप्त कर लक्ष्मीपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसका थाना काण्ड संख्या–55/2025, दिनांक–06.03.2025 है।

3. पुलिस अधीक्षक, जमुई के पत्रांक–3014/सी0आर0, दिनांक–14.05.2025 के आलोक में समाहर्त्ता, जमुई द्वारा अधिहरण कार्यवाही प्रारंभ की गई।

4. समाहर्त्ता, जमुई द्वारा अधिहरण वाद संख्या–01/2025–26 में दिनांक–16.09.2025 को अपीलार्थी को 30 दिनों के अंदर शमन की राशि जमा करने एवं तत्पश्चात वाहन विमुक्त करने का आदेश पारित किया गया

अन्यथा खनिज विकास पदाधिकारी, जमुई वाहन को राज्यसात करने हेतु प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। वर्तमान अपील में इसी आदेश को चुनौती दी गई है।

C उभय पक्ष द्वारा समर्पित तथ्य/विधि के बिन्दु :—

1. अपीलार्थी द्वारा समर्पित किया गया कि :—

(क) दोनों वाहन पर लदे कोयले के E-way Bills की वैधता दिनांक—07.03.2025 तक मान्य थी एवं वैध क्रय किये गये खनिज (consignee—M/s Bholenath Enterprises, Nalanda) का ही परिवहन किया जा रहा था।

(ख) वाहन संख्या--JH12E-7344 में Turbocharger Failure हो जाने के कारण परिवहन में विलम्ब हुआ था।

(ग) वाहन चालक द्वारा जाँच के दौरान breakdown के संदर्भ में बताते हुए परिवहन चालान, E-way Bills आदि प्रस्तुत करते हुए विलम्ब पर विचार करने का अनुरोध किया गया था।

(घ) समाहर्त्ता, जमुई के समक्ष भी उन्होंने यह पक्ष रखा कि यह Transit Irregularity का मामला है न कि अवैध खनन का।

(ड़) चूँकि उनका वाहन वैध खनिज का परिवहन कर रहा था, इसलिए शमन शुल्क एवं खनिज मूल्य देय नहीं है। अतः उनका वाहन विमुक्त किया जाय।

2. इस पर खनिज विकास पदाधिकारी, जमुई द्वारा समर्पित प्रत्युत्तर निम्न प्रकार है :—

(क) जाँच के क्रम में दोनों वाहन के चालक द्वारा बताया गया कि कोयला लदे वाहन का गंतव्य स्थान मधुबनी जिला है। जिस मार्ग एवं दिशा में उक्त

वाहनों को जाँच हेतु रोका गया, वह मार्ग मुंगेर एवं भागलपुर जिला होते हुए मधुबनी जाता है।

(ख) दोनों वाहन पर लदे कोयला का ई–चालान झारखण्ड राज्य के धनबाद जिले से निर्गत हुआ है तथा गंतव्य स्थान भोलेनाथ इंटरप्राइजेज, हरनौत, बड़ाह, नालन्दा, रामगढ़, झारखण्ड, पिन–803110 है।

(ग) जब्ती के समय ई–चालान की अवधि समाप्त होने के कारण थाना काण्ड संख्या–55/2025 दर्ज कराई गई।

(घ) Tax Invoice एवं E-way Bill वस्तु एवं सेवा कर विभाग से संबंधित है, तथा दोनों वाहनों की जब्ती एवं प्राथमिकी खनिज परिवहन हेतु निर्गत चालन की अवधि समाप्त होने के कारण की गई है।

(ङ) समाहर्त्ता, जमुई द्वारा पारित आदेश नियम–संगत है एवं वाद खारिज करने योग्य है।

D 1. अपीलकर्त्ता को सुने एवं अभिलेख को देखने के पश्चात उजागर होता है कि वैध चालान से खनिज के परिवहन नहीं करने के कारण वाहनों को जब्त किया गया है। वैध चालान के बिना खनिज का परिवहन बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के नियम–56(1)(4) के तहत प्रतिबंधित है। नियम–56 (ii) मे तहत जब्त सभी सामग्री, शमन शूल्क एवं खनिज मूल्य के भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में समाहर्त्ता द्वारा राज्यसात किये जाने योग्य है।

2. वाहन ब्रेकडाउन के कारण परिवहन चालान की अवधि में वाहन के गंतव्य तक नहीं पहुँच पाने की स्थिति में इसकी सूचना विभागीय कमांड एण्ड कंट्रोल रूम में दिये जाने की व्यवस्था की गई है, जो वाहन चालक या स्वामी द्वारा नहीं दिया गया है।

3. सुनवाई के क्रम में अपीलकर्त्ता के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि वाहन पर लदे खनिज का परिवहन चालान एवं E-way Bill का destination नालन्दा था एवं वाहनों से आधा कोयला नालन्दा में अनलोड किया जाता एवं शेष मधुबनी ले जाया जाना था। इस संबंध में पृच्छा की गई कि वाहन से दोनों स्थानों पर अलग-अलग मात्रा कैसे अनलोड किया जाता एवं नालन्दा में अनलोड करने के पश्चात ससमय वाहन मधुबनी किस प्रकार पहुँचता, इस संदर्भ में उनके द्वारा कोई प्रत्युत्तर समर्पित नहीं किया गया। खनिज के E-way Bill एवं परिवहन चालान के अनुसार खनिज का destination नालन्दा था, किन्तु वह जिस मार्ग पर पकड़ा गया, वह धनबाद से नालन्दा के रूट में नहीं आता है। वाहन के चालकों द्वारा भी लिखित रूप से स्वीकार किया गया है कि वाहन का गंतव्य मधुबनी है।

4. चूँकि वाहन बगैर वैध चालान के खनिज का परिवहन कर रहा था, इसलिए समाहर्त्ता, जमुई के आदेश को सम्पुष्ट करते हुए अपील खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

ह0/-	ह0/-
(दिवेश सेहरा)	(दिवेश सेहरा)
सचिव-सह-खान आयुक्त,	सचिव-सह-खान आयुक्त,
खान एवं भूतत्व विभाग,	खान एवं भूतत्व विभाग,
बिहार, पटना।	बिहार, पटना।

ज्ञापांकः- 1713 /एम0, पटना, दिनांकः- 06/03/26

प्रतिलिपिः- समाहर्त्ता, जमुई/खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, जमुई/श्री सकलदेव यादव, पिता-बाबुलाल यादव, वार्ड संख्या-01, ग्राम-कुशहाना, पो0-दशारो, खुर्द, थाना-मरकच्चो, जिला- कोडरमा, राज्य-झारखण्ड, पिन-825318, ईमेल-harshcnlu@gmail.com/ pabhishek496@gmail.com/ आई0टी0 मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.3.26

विधि पदाधिकारी